

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 13/10/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23.09.2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री ए के भूषण, उप महानिदेशक, अपर कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
3. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
4. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री विवेक कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिका, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) (ii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त और भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 22/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 22/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 22/09/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) वाणी रहीम एक्सपोर्ट्स एलएलपी - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।



2.1 निदेशक श्री वैभव चौरसिया अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री चौरसिया ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक सुगंधित चबाने वाले तंबाकू की व्यापारिक इकाई स्थापित करना है। कंपनी एसडीएफ एच-12-14, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित 'रमाशंकर लक्ष्मीनारायण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से तैयार उत्पाद खरीदेगी। खरीदे गए सुगंधित चबाने वाले तंबाकू का निर्यात मुख्य रूप से थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में किया जाएगा। इसके अलावा, वे व्यापारिक उत्पादों के लिए नए बाजार भी तलाशेंगे।

2.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारा जाना आवश्यक है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स वाणी रहीम एक्सपोर्ट्स एलएलपी के "स्वादिष्ट चबाने वाले तंबाकू (24039910) के व्यापार" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन कार्यसूची नोट/फाइल में पाई गई कमियों को दूर करने के अधीन होगा।

(3) किशन लाल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

3.1 निदेशक श्री अजय गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने चूड़ियाँ, चेन, कंगन, अंगूठी आदि जैसे पूर्णतः मशीनीकृत आभूषणों के निर्माण के लिए कुछ मशीनें पहले ही खरीद ली हैं।

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने आज तक बैंक/सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित भारतीय रुपये के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर में वर्षवार मूल्यवर्धन उपलब्धि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और साथ ही इस कार्यालय के दिनांक 24/02/2025 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किए गए पिछले पांच वर्षों (26/08/2019 से 25/08/2024) के ब्लॉक से संबंधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में दिए गए डेटा से किसी भी भिन्नता के बारे में स्पष्टीकरण भी प्रदान नहीं किया है।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, साथ ही इकाई को विस्तृत विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करने और इस कार्यालय के दिनांक 24/02/2025 के पत्र का उत्तर देने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को कंपनी के परिसर का दौरा करने और इकाई द्वारा प्रस्तावित वस्तुओं की विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(4) इंटर्रा इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक में परिवर्तन और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

4.1 बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति द्वारा 12/08/2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, इकाई ने बताया है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 71.47 लाख रुपये मूल्य की सेवाओं की घरेलू

प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की थी। हालाँकि, अपनी अन्य इकाई के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान इस कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, उन्होंने जनवरी 2022 से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री बंद कर दी है। इकाई ने यह भी सूचित किया था कि उपरोक्त बिक्री के लिए भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त हुआ है।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय को इकाई की व्यक्तिगत सुनवाई करने और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र द्वारा भारतीय रुपये में सेवाओं की बिक्री से संबंधित मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(5) इंटरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशक में परिवर्तन।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया।

(6) वाटर नेक्स्ट सॉल्यूशंस एलएलपी - कंपनी के साझेदारों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

6.1 श्री प्रणय बहल, साझेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 यह सूचित किया गया कि इकाई को साझेदारों में परिवर्तन के संबंध में एलएलपी फॉर्म-3 और एलएलपी फॉर्म-4 की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार, फर्म के साझेदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन पर ध्यान दिया। यह अनुमोदन इकाई द्वारा एलएलपी फॉर्म-3 और एलएलपी फॉर्म-4 की प्रति प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, ईएम डिवीजन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जाँच करने का निर्देश दिया।

(7) इंडिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) के आधार पर कार्यनिष्पादन की निगरानी की और 2024-25 तक पाँच वर्षों के दूसरे खंड के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय प्राप्त करने पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि कोई भी निर्यात आय प्राप्ति हेतु लंबित नहीं दिखाई गई है।

(8) वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - नियम 74ए के अंतर्गत निष्पादन की निगरानी और परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण हेतु अंतिम अनुमोदन।

8.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) के आधार पर निष्पादन की निगरानी की और 2024-25 तक इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय प्राप्त करने पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि कोई भी निर्यात आय प्राप्ति हेतु लंबित नहीं दिखाई गई है।

8.2 अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार, मेसर्स वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट संख्या 129जी/15, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मेसर्स कोरप लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का भी निर्णय लिया। यह (i) मेसर्स वन टच सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकास औपचारिकताओं को पूरा करने और (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के अधीन है। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फाइल पर अंतिम विकास के मामले की जाँच करने का भी निर्देश दिया।

(9) अजीत एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा/नवीनीकरण और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

9.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इससे पहले भी 22/09/2025 को आयोजित पिछली इकाई अनुमोदन समिति के दौरान और 26/09/2025 को विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था।

9.2 यह भी सूचित किया गया कि प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क विभाग को दिनांक 10/10/2025 के आंतरिक ज्ञापन के माध्यम से लंबित सीमा शुल्क अपील के शीघ्र निपटान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दायर करने का अनुरोध किया गया है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, कारण बताओ सूचना (एससीएन) के निर्णय और स्वीकृति पत्र (LOA) पर निर्णय के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर अपील के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय

(10) ट्रॉय एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करना।

10.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गुरप्रीत सिंह, श्री जसकरण धालीवाल, श्री अंशुल और श्री सचिन मेहरा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री धालीवाल ने बताया

कि संस्थापकों को अन्य कंपनियों में गोदाम के समान क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का कार्य अनुभव है। उन्होंने आगे बताया कि वे प्रस्तावित इकाई से व्यापार के साथ-साथ गोदाम गतिविधियाँ भी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे अध्याय 22 के अंतर्गत वस्तुओं के लिए अफ्रीका, भूटान, सूडान, रूस आदि जैसे बाजारों को लक्षित कर रहे हैं और यूरिया के लिए जॉर्डन, मिस्र, रूस आदि बाजार होंगे। तंबाकू उत्पादों के लिए, उनके पास एक जापानी निर्माता से पूछताछ है। कॉस्मेटिक उत्पादों के संबंध में, एक फ्रांसीसी निर्माता भारत और मध्य पूर्व के देशों में बिक्री के लिए गोदाम का उपयोग करना चाहता है।

10.2 प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने प्रस्तावित गोदाम के लिए नीलामी के माध्यम से नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में प्लॉट संख्या 93 का अधिग्रहण लगभग 1.9 करोड़ रुपये में कर लिया है। अनुमोदन समिति ने पाया कि धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है।

10.3 यह भी बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा दूर किया जाना आवश्यक है।

10.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को प्रस्तावित परियोजना के लिए धन के विस्तृत स्रोत और अधिग्रहीत प्लॉट के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने आवेदक को आवेदन में पाई गई अन्य कमियों को भी दूर करने का निर्देश दिया।

(11) जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करना।

11.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी पी शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

11.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने वर्तमान ब्लॉक की नवीनीकृत अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है। श्री शर्मा ने बताया कि वे सोने/चाँदी के व्यापार की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसी कारण वे कोई निर्यात नहीं कर सके। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास सादे सोने के आभूषणों के कुछ निर्यात ऑर्डर हैं, जिन्हें स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के बाद पूरा किया जाएगा।

11.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि वाणिज्य विभाग (डीओसी) से प्राप्त स्पष्टीकरण में अस्पष्टता है, जिसकी आगे जाँच और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

11.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को वर्तमान पाँच वर्षों के ब्लॉक की शेष अवधि अर्थात् 12/07/2026 तक 'सादे सोने के आभूषणों (71131911) के निर्माण' के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने सोने/चाँदी के व्यापार को शामिल करने से संबंधित मामले को भी स्थगित कर दिया और मामले की पुनः जाँच करने का निर्देश दिया।

(12) डायलमाज़ एक्सपोर्ट्स - प्लॉट संख्या 142ए/26, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का मेसर्स सुशील जेम्स को स्थानांतरण और निकासी।

12.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पाया कि मेसर्स डायलमाज़ एक्सपोर्ट्स ने एसईजेड नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है। अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार प्लॉट संख्या 142ए/26, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्थानांतरण और निकासी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने (ii) लागू हस्तांतरण शुल्कों के भुगतान और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(आमिर इकबाल)
सहायक विकास आयुक्त



(किरण मोहन मोहदिकर)
उप विकास आयुक्त